



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30102025-267265
CG-TL-E-30102025-267265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4654]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 4654]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकन्दराबाद, 17 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4788(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20(ए) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 17 जुलाई, 2025 (इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ.3260(ई), दिनांक 15 जुलाई, 2025 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “येर्पेडु – पूडि स्टेशनों के बीच बाइपास लाइन (25.36 किमी.)” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, “साक्षी (तेलुगु)”, “हिंदी मिलाप (हिंदी)” और “द न्यू इंडिया एक्सप्रेस (अंग्रेजी)” में 29 जुलाई, 2025 को के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर-III, निर्माण संगठन, सिकंदराबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि वैधानिक समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है.

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना, येपेंडु – पूडि स्टेशनों के बीच बाइपास लाइन (25.36 किमी.) हेतु किसी संरचना सहित या उसके रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए विशेष रेलवे परियोजना

येपेंडु – पूडि स्टेशनों के बीच बाइपास लाइन (25.36 किमी.).

गांव : मोलगमूडि				मंडल : रेणिगुंटा				जिला : तिरुपति		
क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.	कुल क्षेत्र एकड़ सेंट	अधिग्रहण का क्षेत्र एकड़ सेंट	हितप्रद व्यक्ति का नाम और पता/सरकारी ब्यौरा	सीमाएं				पेड़ों, संरचनाओं आदि का विवरण यदि कोई हो	अभ्युक्तियाँ (सरकारी/पट्टा भूमि/डीकेटी)
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	11/15 (वैबलैंड सर्वे सं.: 11/1 के अनुसार)	0.68	0.16	गुंटा	12/2	11/7	11/2	9		सरकारी
2	11/2ए (वैबलैंड सर्वे सं.: 11/2ए&2बी के अनुसार)	2.14	0.73	एम.कुसुमा पत्नी एम.सुधाकर रेड्डी एम.नागराजु सुपुत्र एम.कृष्णा रेड्डी	12/2	11/3	13	11/1		पट्टा
3	11/6ए वैबलैंड सर्वे सं.: 11/6ए, बी, सी, डी, ई&एफ के अनुसार)	2.72	0.75	बी.रामि रेड्डी सुपुत्र बी.मुनस्वामि रेड्डी बी.जगन्नाथ रेड्डी सुपुत्र बी.मुनस्वामि रेड्डी बी.मुनस्वामि रेड्डी सुपुत्र चिन्नमुनस्वामि रेड्डी बी.वेंकट सत्यनारायण	11/7	11/8	11/1 1	10	यूकलिप्ट स के पेड़ - 160	पट्टा

				रेड्डी सुपुत्र मुनस्वामि रेड्डी बी.मुनेम्मा पत्नी रंगा रेड्डी बी.ज्योति पत्नी कृष्णा रेड्डी						
4	11/7ए (वैबलैंड सर्वे सं: 11/7 के अनुसार)	0.87	0.65	ए.भास्कर रेड्डी सुपुत्र ए.रामि रेड्डी	11/2	11/6	11/3	10		पट्टा
5	11/8ए (वैबलैंड सर्वे सं: 11/8 के अनुसार)	0.13	0.035	ए.बालमुनि रेड्डी सुपुत्र ए.रामि रेड्डी	12/6	11/9	20/1	10	नारियल के पेड़ - 6, जावा प्लम के पेड़ - 5, इमली के पेड़ - 1 & नीम के पेड़ - 1	पट्टा
6	12/1ए2 (वैबलैंड सर्वे सं: 12/1ए के अनुसार)	0.30	0.14	ए.वासुदेव नायडु सुपुत्र नारायणस्वा मी नायडु	सूरप्पका सम गांव	12/1 बी	12/1 बी	12/1 बी		पट्टा
7	12/1 बी 2 वैबलैंड सर्वे सं: 12/1 बी के अनुसार)	2.76	0.74	ए.नारायणस्वा मी सुपुत्र ए.धर्मय्या	सूरप्पका सम गांव	12/2	12/2	9		पट्टा
8	12/12 (वैबलैंड सर्वे सं: 12/2 के अनुसार)	2.25	0.3	कब्रिस्तान	12/1बी	11/2	12/6	9		सरकारी
9	11/9 ए (वैबलैंड सर्वे सं: 11/9ए & 9बी के अनुसार)	0.10	0.025	बी.ज्योति पत्नी बी.कृष्णा रेड्डी	11/8	20/1	20/1	10	नारियल के पेड़ - 15, जावा प्लम के पेड़- 15 & नीम के पेड़ - 1	पट्टा
10	20/1ए (वैबलैंड सर्वे सं: 20/1ए, बी, सी & डी के अनुसार)	1.39	0.12	बी.ज्योति पत्नी बी.कृष्णा रेड्डी	11/6	20/2	20/1 2	21		पट्टा
11	20/5ए (वैबलैंड सर्वे सं: 20/5ए के अनुसार)	0.14	0.075	बी.ज्योति पत्नी बी.कृष्णा रेड्डी	20/1	20/6	20/4	21		पट्टा
12	20/6ए	0.27	0.075	पी.राधा रेड्डी	20/5	18/2	20/8	21	नारियल	पट्टा

	(वैबलैंड सर्वे सं: 20/6 के अनुसार)			सुपुत्र पी.मुनि रेड्डी					के पेड-5	
13	39/1ए (वैबलैंड सर्वे सं: 39/1)	1.96	0.08	यू.रामय्या सुपुत्र बोडेय्या	49	39/3	40/2	39/2		पट्टा
14	39/2ए (वैबलैंड सर्वे सं: 39/2 के अनुसार)	0.21	0.125	यू.रामय्या सुपुत्र बोडेय्या	39/1	39/3	40/2	39	बोर -1, कुआँ -1	पट्टा
15	39/3ए (वैबलैंड सर्वे सं: 39/3ए&3बी के अनुसार)	2.14	0.25	एन.कृष्णय्या यू.रामय्या सुपुत्र बोडेय्या	39/1	39/4	40/2	39	बोर -2	पट्टा
16	39/4ए (वैबलैंड सर्वे सं: 39/4)	1.81	0.12	एन.हेमाद्रि सुपुत्र एन.वेंकटमुनि	39/3	39/5ए	40/2	39	बोर -1	पट्टा
17	39/5ए1 (वैबलैंड सर्वे सं: 39/5ए2 के अनुसार)	2.59	0.19	ए.बालमुनि सुपुत्र ए.रामि रेड्डी	39/4	39/5 डी	40/2	39	बोर -1	पट्टा
18	39/5डी1 (वैबलैंड सर्वे सं: 39/5डी के अनुसार)	2.37	0.44	ए.भास्कर रेड्डी सुपुत्र ए.रामि रेड्डी	39/5ए	पुडि गांव	39/5 ए	39	नारियल के पेड - 30, आम के पेड - 15 & बोर - 1	पट्टा
19	49/1 (वैबलैंड सर्वे सं: 49 के अनुसार)	82.88	0.83	तालाब	39	39/1	48	37		सरकारी.
	कुल	एकड़ 5.835 सेंट								

[फा. सं. W.Con.182/SRP-19/PUDI-YPD/24-25/271/20E/17102025]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 17th October, 2025

S.O. 4788(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3259 (E) dated the 15th July 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 17th July 2025 (here in after referred to as the said notification) and issued under sub-section(1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989(24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance,

management and operation of Special Railway Project, namely “Bypass line between Yerpedu–Pudi stations (25.36Km.)”, in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Sakshi(Telugu), Hindi Milap (Hindi) and The New India Express (English)” on 29th July 2025 by K.Suryanaryana, Chief Engineer-III, Construction Organization Secunderabad under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objections have been filed within the statutory time limit.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Bypass line between Yerpedu– Pudi stations (25.36 Km) in the state of Andhra Pradesh.

Description of Land in Acquisition: Special Railway Project, Bypass line between Yerpedu– Pudi stations (25.36 Km) for passenger and freight facility.

Village: Molagamudi				Mandal: Renigunta		District: Tirupati				
Sl. No.	Survey No.	Total Extent Ac Ce	Extent under Acquisition Ac Ce	Name & address of the person interested/Details of Govt. Land	Boundaries				Details of Trees, Structures etc., if any	Remarks (Govt./ Patta/ DKT)
					N	S	E	W		
1.	11/15 (as per webland Sy.No: 11/1)	0.68	0.16	Gunta	12/2	11/7	11/2	9		Govt.
2.	11/2A (as per webland Sy.No: 11/2A&2B)	2.14	0.73	M.Kusuma W/o M.Sudhakar Reddy M.Nagaraju S/o M.Krishna Reddy	12/2	11/3	13	11/1		Patta
3.	11/6A as per webland Sy.No: 11/6A,B,C,D,E&F	2.72	0.75	V.Rami Reddy S/o V.Munaswamy Reddy V.Jagannadha Reddy S/o V.Munaswamy Reddy V.Munaswamy Reddy S/o Chinnamunaswamy Reddy V.Venkata Sathyanarayana Reddy S/o Munaswamy Reddy V.Munemma W/o Ranga Reddy V.Jyothi W/o Krishna Reddy	11/7	11/8	11/11	10	EUCALYPTUS TREE - 160	Patta
4.	11/7A (as per webland Sy.No: 11/7)	0.87	0.65	A.Bhaskar Reddy S/o A.Rami Reddy	11/2	11/6	11/3	10		Patta
5.	11/8A (as per webland Sy.No: 11/8)	0.13	0.035	A.Balamuni Reddy S/o A.Rami Reddy	12/6	11/9	20/1	10	COCONUT TREE - 6, JAVA PLUM TREE - 5, TAMARIND TREE - 1 & NEEM TREE - 1	Patta
6.	12/1A2 (as per webland Sy.No: 12/1A)	0.30	0.14	A.Vasudeva Naidu S/o Narayanaswamy Naidu	Surappak asam village	12/1B	12/1B	12/1B		Patta

7.	12/1B2 (as per webland Sy.No: 12/1B)	2.76	0.74	A.Narayana Swamy S/o A.Dharmaiah	Surappak asam village	12/2	12/2	9		Patta
8.	12/12 (as per webland Sy.No: 12/2)	2.25	0.3	Burial Ground	12/1B	11/2	12/6	9		Govt.
9.	11/9A (as per webland Sy.No: 11/9A & 9B)	0.10	0.025	V.Jyothi W/o V.Krishna Reddy	11/8	20/1	20/1	10	COCONUT TREE - 15, JAVA PLUM TREE - 15 & NEEM TREE - 1	Patta
10.	20/1A (as per webland Sy.No: 20/1A,B,C&D)	1.39	0.12	V.Jyothi W/o V.Krishna Reddy	11/6	20/2	20/12	21		Patta
11.	20/5A (as per webland Sy.No: 20/5A)	0.14	0.075	V.Jyothi W/o V.Krishna Reddy	20/1	20/6	20/4	21		Patta
12.	20/6A (as per webland Sy.No: 20/6)	0.27	0.075	P.Radha Reddy S/o P.Muni Reddy	20/5	18/2	20/8	21	COCONUT TREE - 5	Patta
13.	39/1A (as per webland Sy.No: 39/1)	1.96	0.08	U.Ramaiah S/o Bodeiah	49	39/3	40/2	39/2		Patta
14.	39/2A (as per webland Sy.No: 39/2)	0.21	0.125	U.Ramaiah S/o Bodeiah	39/1	39/3	40/2	39	BORE -1, WELL -1	Patta
15.	39/3A (as per webland Sy.No: 39/3A&3B)	2.14	0.25	N.Krishnaiah U.Ramaiah S/o Bodeiah	39/1	39/4	40/2	39	BORE -2	Patta
16.	39/4A (as per webland Sy.No: 39/4)	1.81	0.12	N.Hemadri S/o N.Venkatamuni	39/3	39/5A	40/2	39	BORE -1	Patta
17.	39/5A1 (as per webland Sy.No: 39/5A2)	2.59	0.19	A.Balamuni Reddy S/o A.Rami Reddy	39/4	39/5D	40/2	39	BORE -1	Patta
18.	39/5D1 (as per webland Sy.No: 39/5D)	2.37	0.44	A.Bhaskar Reddy S/o A.Rami Reddy	39/5A	Pudi Village	39/5A	39	COCONUT TREE - 30, MANGO TREE - 15 & BORE - 1	Patta
19.	49/1 (as per webland Sy.No: 49)	82.88	0.83	Cheruvu	39	39/1	48	37		Govt.
TOTAL		Ac. 5.835 Ce								

[F. No. W.Con.182/SRP-19/PUDI-YPD/24-25/271/20E/17102025]

K. SURYANARAYANA, Chief Engineer / Construction-III